दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) 10462/2020

कौम फ़कीर शाह .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रॉबिन राजू, अधिवक्ता

बनाम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री निधि रमण, सी.जी.एस.सी

सह

प्र-1 के अधिवक्ता जुबिन सिंह

सुश्री हेतु अरोरा सेठी, अति.स्था.अधि., जीएनसीटीडी सह प्र-2 से 5 के अधिवक्तागण श्री अर्जुन बसरा और श्री निर्मल प्रसाद,

रि.या. (सि) 159/2021 और सि. वि.आ. 7378/2021

मो. कादिर अंसारी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रॉबिन राजू, अधिवक्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री हेतु अरोरा सेठी, अति.स्था.अधि. जीएनसीटीडी सह प्र-1, 3 और 4 के अधिवक्तागण श्री अर्जुन बसरा और श्री निर्मल प्रसाद

सुश्री निधि रमन, सीजीएससी सह प्र-2 के अधिवक्ता श्री जुबिन सिंह

निर्णय की तिथि: 08 जनवरी, 2024

कोरमः

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका यानी रि.या. (सि) 10462/2020 निम्नलिखित राहतों की मांग के लिए दायर की गई है।

1. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, <u>प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के बच्चे और बंधुआ मजदूरी के 115 अन्य पीड़ितों, जैसा कि अनुलग्नक -12 (श्रेणी "ए") (14 वर्ष से कम आयु के 39 बाल श्रमिक सहित) में उल्लेख किया गया है, की लंबित बकाया मजदूरी की वसूली करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें बकाया मजदूरी की वसूली के लिए कार्यवाही समयबद्ध तरीके से शुरू की गई है;</u>

2. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, <u>प्रत्यर्थी प्राधिकारियों, विशेष रूप से श्रम विभाग को 77 बाल पीड़ितों (14 वर्ष से कम आयु के 37 बाल श्रमिकों सहित), जैसा कि अनुलग्नक पी -12 ('श्रेणी बी') में उल्लिखित है की ओर से वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए, जहां कानूनी बचाव के बावजूद कोई वसूली कार्रवाई नहीं की गई है;</u>

3. <u>एक जवाबदेही तंत्र प्रदान किया जाए जो यह सुनिश्चित करता है कि बाल श्रमिकों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया वेतन/न्यूनतम वेतन दिया जाए।</u>

4. किसी भी संबंधित विभाग को कोई अन्य उचित निर्देश पारित किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और उचित समझे।"

(जोर दिया गया)

2. रि.या. (सि) 159/2021 को निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर किया गया है:

क. तत्काल वित्तीय पुनर्वास सहायता सीएस योजना, 2016 के तहत लागू और वाल्टर केरकेट्टा बनाम उप-विभागीय मजिस्ट्रेट-दक्षिण पूर्व दिल्ली, रि.या. (सि) सं. 9744/2017 में 04.07.2018 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एसओपी में प्रदान किए गए तंत्र के अनुसार (एतद्पश्चात "निर्णय") के अनुसार याचिकाकर्ताओं के बच्चे और दिल्ली राज्य [एनसीआर] में बंधुआ मजदूरी के अन्य 35 पीड़ितों को तुरंत अनुदान देने के लिए प्रत्यर्थीगण, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 3 और प्रत्यर्थी सं. 4 को परमादेश के रूप में रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या <u>निर्देश जारी किया जाए</u>;

ख. संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों और उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को परमादेश के रूप में रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या <u>निर्देश जारी करें कि अनुलग्नक-पी-14 में उल्लिखित बंधुआ मजदूरी के शेष 87 बाल पीडितों को सीएस योजना, 2016 के तहत लागू और 04.07.2018 के निर्णय में प्रदान किए गए तंत्र के अनुसार तत्काल वित्तीय पुनर्वास सहायता प्रदान करें;</u>

ग. पूर्ववर्ती पैराग्राफ संख्या 19(ङ) में उल्लिखित प्रत्येक एसओपी चरण के अनुपालन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को अभिलेख में रखने के लिए प्रत्यर्थीगण को परमादेश के रूप में रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करें

घ. सी.एस. योजना का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए <u>प्रत्यर्थी अधिकारियों के लिए एक जवाबदेही तंत्र स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी को अनिवार्य या कोई अन्य उपयुक्त प्रत्यर्थीगण परमादेश या निर्देश के रूप में एक रिट जारी करें, जो परिणामस्वरूप "पुनर्वास तत्काल वित्तीय सहायता" का समय पर अनुदान सुनिश्चित करेगा।</u>

ई. इस याचिका के शुल्क के लिए; माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले कोई अन्य निर्देश या आदेश पारित करें।"

(जोर दिया गया)

3. इनमें से प्रत्येक याचिका में याचिकाकर्ता ऐसे बच्चे का पिता है जो बंधुआ मजदूरी का शिकार रहा है। याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चे के साथ-साथ इसी तरह के बच्चों, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिला है, के लिए राहत की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई हैं,

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रि.या. (सि) 10462/2020 में याचिकाकर्ता, अपने नाबालिग बच्चे और बंधुआ मजदूरी के शिकार 115 अन्य बच्चों के लंबे समय से लंबित बकाया वेतन की शीघ्र वसूली के लिए निर्देश मांग रहा है। उसका कहना है कि उक्त पीड़ितों को दो (2) समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

4.1. उसका कहना है कि पहली श्रेणी में वे मामले शामिल हैं जहां प्रत्यर्थीगण द्वारा बकाया वेतन की वसूली शुरू की गई है; दूसरी श्रेणी में ऐसे मामले शामिल हैं जहां प्रत्यर्थीगण वसूली कार्यवाही शुरू करने में विफल रहे हैं। उसका कहना है कि रिट याचिका के साथ संलग्न सारणीबद्ध सूची (अनुलग्नक पी-12 के रूप में) से पता चलता है कि ऐसे मामले हैं जहां वसूली नोटिस 7 साल पहले के हैं; हालाँकि, बचाये गये बच्चों को बकाया वेतन नहीं दिया गया है।

4.2. उसने कहा कि इस न्यायालय ने दिनांक 09.08.2023 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को बचाए गए बच्चों के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ताकि प्रत्यर्थी सं. 2 बचाए गए बच्चों के लिए देय राशि हस्तांतरित कर सके। उसका कहना है कि उक्त निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 को तीन (3) बच्चों के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया है; हालाँकि, आज तक उक्त खातों में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

5. जवाब में, प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 के लिए विद्वान अधिवक्ता सुश्री हेतु अरोरा सेठी ने कहा कि 115 मामलों में वसूली पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इन याचिकाओं में मांगी गई राहतों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 की ओर से दिनांक 12.12.2023 के संयुक्त सुझाव अभिलेख पर रखे हैं। उन्होंने कहा कि उक्त सुझाव इन रिट याचिकाओं में मांगी गई दरों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित सरकारी विभागों के समन्वय से दिए गए हैं। उनका कहना है कि उक्त सुझावों को न्यायालय द्वारा

स्वीकार किया जा सकता है और उसके संदर्भ में प्रत्यर्थीगण को उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

5.1. उनका कहना है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए बचाए गए बच्चों के तीन (3) बैंक खातों में भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण द्वारा त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

6. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 द्वारा दायर दिनांक 12.12.2023 के उक्त संयुक्त सुझावों का अवलोकन किया है और बचाए गए बाल मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने और उक्त बाल मजदूरी के कारण बकाया मजदूरी की शीघ्र वसूली के लिए उसमें सुझाए गए तंत्र से संतुष्ट हैं।

7. याचिकाकर्ता ने रि.या. (सि) 10462/2020 में बचाए गए बाल मजदूर को देय मजदूरी की समयबद्ध वसूली के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। इसी प्रकार, रि.या. (सि) सं. 159/2021 में याचिकाकर्ता ने बचाए गए बाल मजदूर को तत्काल वित्तीय पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की है। इस न्यायालय ने दिनांक 12.12.2023 के संयुक्त सुझावों का अवलोकन किया है और संतुष्ट है कि ये वैध हैं। तदनुसार, यह न्यायालय उक्त संयुक्त सुझावों को मंजूरी देता है और पक्षकारगण की सहमति से अतिरिक्त निर्देशों के साथ बचाए गए बाल मजदूर के

लिए बचाव के बाद के प्रोटोकॉल में प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 द्वारा अपनाए जाने वाले तंत्र के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:

क. तत्काल वित्तीय सहायता

(i) यदि ऐसे बचाए गए बच्चे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की देखरेख में बाल देखभाल/किशोर गृह में रखा जाता है, तो बच्चे को बचाने के तुरंत बाद संयुक्त रूप से एक बचत बैंक खाता खोला जाएगा। ऐसा बैंक खाता जीएनसीटीडी [बच्चे के अस्थायी अभिभावक के रूप में] के तहत संबंधित बाल देखभाल संस्थान के अधीक्षक/प्रभारी के साथ बच्चे के नाम पर खोला जाएगा। ऐसा बैंक खाता ऐसे बच्चे के अस्थायी पते के रूप में बाल कल्याण समिति ('सीडब्ल्यूसी') का पता प्रदान करके खोला जाएगा।

(ii) यदि बचाए गए बच्चे के माता-पिता/अभिभावक किसी भी समय (भविष्य में) मौजूद हैं, तो उचित सत्यापन और बच्चों के बैंक विवरण के प्रावधान के अधीन, वित्तीय सहायता की राशि सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस जानकारी के सत्यापन से एक (1) सप्ताह के भीतर स्थानांतरित की जाएगी।

(iii) यदि बचाए गए बच्चे को बचाए जाने के तुरंत बाद उसके मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाता है, तो उक्त जानकारी सीडब्ल्यूसी द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ साझा की जाएगी ताकि ऐसे बच्चे के संबंध में खोले गए बैंक खाते के संबंध में जानकारी का पता लगाया जा सके और आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ-साथ वसूली गई मजदूरी ऐसी

सूचना प्राप्त होने के एक (1) सप्ताह के भीतर ऐसे खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

(iv) यदि बचाया गया बच्चा जो () के अनुसार सीडब्ल्यूसी की देखरेख में रहा, और ऐसे सीडब्ल्यूसी में उसके रहने की अवधि के दौरान वयस्क हो जाता है, तो, ऐसे व्यक्ति द्वारा सीधे बैंक में आवेदन जमा करने पर, जहां उसके नाम पर खाता खोला गया है, उसे एकमात्र खाताधारक के रूप में ऐसे खाते को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

(v) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सतर्कता समितियां बचाए गए बच्चों या उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खाते के विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी प्रदान करने में सभी समन्वय और सहायता प्रदान करेंगी।

ख. बकाया वेतन की वसूली एवं इस संबंध में कानूनी कार्यवाही

बंधुआ मजदूरों के पुनरूद्धार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना – 2016 के अनुसार, बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अंतर्गत शीघ्र विचारण बच्चों की पहचान अथवा बचाव की तारीख से तीन (3) माह, जो भी बाद में हो, के भीतर पूरा किया जाना है।

जीएनसीटीडी द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मजदूरों के लाभ, जिन्हें माननीय न्यायालय ने "**वाल्टर केरकेट्टा बनाम सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पूर्व जिला और अन्य** की शीर्षक वाली रि.या. (सि) सं. 9744/2017 में दिनांक 04.07.2018 के अपने निर्णय में मंजूरी दी थी, में यह प्रावधान हैं कि श्रम विभाग

को आरोपी नियोक्ताओं/मालिकों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अधिक समय तक (ओवरटाइम) के वेतन सहित बकाया वेतन की वसूली के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। हालाँकि, ऐसे बकाया वेतन की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने और समाप्त करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत वैधानिक रूप से कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, यह निर्देशित किया जाता है कि:

(i) किसी बच्चे को बचाए जाने के दो (2) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वसूली नोटिस जारी किए जाएंगे।

(ii) वसूली कार्यवाही में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत निरीक्षक अभियुक्त नियोक्ता/मालिक को बकाया वेतन प्रदान करने के लिए दो (2) सप्ताह का समय देगा। उन मामलों में, जिनमें ये राशियाँ ऐसी समय-सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती हैं, इसके बाद इंस्पेक्टर बाल कल्याण समिति ('सीडब्ल्यूसी') से इसे जुर्माने के रूप में वसूलने का अनुरोध करता है, क्योंकि अध्यक्ष मजिस्ट्रेट की पीठ हैं। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त नियोक्ता/मालिक द्वारा दो (2) सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर बकाया मजदूरी प्रदान नहीं की जाती है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और संबंधित एसडीएम द्वारा बकाया वेतन को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ;

(iii) ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष बंधुआ बाल मजदूर के लिए बकाया मजदूरी वसूल की जाती है, उसे तत्काल वित्तीय सहायता के लिए उल्लिखित समान प्रक्रियाओं में उक्त बच्चे या उसके माता-पिता/विधिक अभिभावकों को दिया जाएगा।

(iv) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और सतर्कता समितियां "बंधुआ मजदूरों की पहचान और तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" के खंड 11 के अनुसार बचाए गए बच्चों या उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खाते के विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी प्रदान करने में सभी समन्वय और सहायता प्रदान करेंगी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **वाल्टर केरकेट्टा बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और अन्य** शीर्षक वाली रि. या. (सि) सं. 9744/2017 में पारित अपने निर्णय दिनांक 04.07.2019 में अनुमोदित किया गया है।

(v) संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त नियोक्ता/मालिक से वास्तविक वसूली वसूली प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन (3) महीने के भीतर पूरी हो जाए।

(vi) जीएनसीटीडी के संबंधित विभाग इन निर्देशों का कड़ाई से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. हम संयुक्त सुझाव तैयार करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं। हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को **वाल्टर केरकेट्टा बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पूर्व जिला एवं अन्य** शीर्षक वाली रि.या. (सि) सं.

9744/2017 में अनुमोदित एसओपी के साथ उपरोक्त निर्देशों को वेबसाइट पर डालने का निर्देश देते हैं।

9. प्रत्यर्थी सं. 2 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बचाए गए बच्चों के तीन (3) बैंक खातों में बकाया और देय राशि आज से दो (2) सप्ताह की अवधि के भीतर भेज दी जाए।

10. इसके अलावा, रि.या. (सि) 10462/2020 में प्रार्थनाओं का निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अनुलग्नक पी-12 (श्रेणी ए और श्रेणी बी दोनों में) में सूचीबद्ध बच्चों के लंबित बकाया मजदूरी की वसूली करने का निर्देश दिया जाता है।

11. इसी तरह, रि.या. (सि) 159/2021 में प्रार्थनाओं का निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 को इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में अनुलग्नक पी-14 में सूचीबद्ध बच्चों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

12. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

8 जनवरी, 2024/एमजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*